

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana	©	Govt.	of	Harv	/ana
--------------------	---	-------	----	------	------

No. 219-2022/Ext.]	चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2022
-	(24 मार्गशीर्ष, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृष्ट

भाग I अधिनियम

कुछ नहीं

भाग II अध्यादेश

कुछ नहीं

भाग III प्रत्यायोजित विधान

अधिसूचना संख्या का०आ० 84/ह०अ० 16/2022/धा० 19/2022, दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 919-945

-हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम, 2022।

भाग IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं

भाग-III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 दिसम्बर, 2022

संख्या का॰आ॰ ८४/ह॰अ॰ १६/२०२२/धा॰ १९/२०२२.— हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम, 2022 (2022 का 16) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

ये नियम हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम, 2022, कहे जा सकते हैं। 1. (1)

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ।

- ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। (2)
- (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -2.

परिभाषाएं।

- ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम, 2022 (2022 का 16);
- "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप।
- इन नियमों में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित सभी अन्य शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होगे, जो अधिनियम में क्रमशः उन्हें दिए गए हैं।
- सक्षम न्यायालय के सम्मुख किसी व्यथित पक्षकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अधीन भरण-पोषण आवेदन दायर करने पर, न्यायालय अधिनियम की धारा 8 के अधीन आवेदन पर याचिकाकर्ता की अपनी आय तथा प्रतिवादी की आय को ध्यान में रखकर भरण-पोषण तथा कार्यवाही के खर्चों तथा कार्यवाही के दौरान ऐसी मासिक भरण-पोषण राशि का याचिकाकर्ता को भूगतान करने के लिए प्रतिवादी को आदेश दे सकता है, जैसा न्यायालय उचित समझे :

परन्तू ऐसी मासिक भरण-पोषण यथा उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम की धारा 8 के अधीन आवेदन का निपटान जहां तक सम्भव हो, प्रतिवादी को नोटिस की तामील की तिथि से साठ दिन

- न्यायालय, विवाह से जन्मे अवयस्क बालक को कार्यवाही के दौरान बालक के बेहतर हित में भरण-पोषण तथा कार्यवाही के खर्चे ऐसे व्यक्ति के माध्यम से भगतान करने के लिए प्रतिवादी को आदेश देगा, जो न्यायालय उचित समझे।
- अधिनियम की धारा 6 के अधीन विवाह को अकृत्य और अमान्य घोषित करते समय या उसके बाद किसी भी समय, न्यायालय याचिकाकर्ता या तो पत्नी या पित, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा उसको किए गए आवेदन पर, प्रतिवादी की अपनी आय तथा अन्य सम्पति, यदि कोई हो, आवेदक की आय तथा अन्य सम्पति, पक्षकारों के आचरण तथा मामलों की अन्य परिस्थितियों पर विचार करके, याचिकाकर्ता के जीवन से अनधिक अवधि के लिए, ऐसी सकल राशि या ऐसा मासिक भरण-पोषण या नियतकालिक राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी को आदेश दे सकता है, जैसा न्यायालय न्यायसंगत तथा उचित समझेः

परन्तु कार्यवाही के खर्चो तथा कार्यवाही के दौरान ऐसी मासिक भरण-पोषण राशि के भुगतान के लिए आवेदन का निपटान, जहां तक सम्भव हो, प्रतिवादी को नोटिस की तामील की तिथि से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 6 के अधीन विवाह को अकृत्य और अमान्य घोषित करने पर, न्यायालय, अवयस्क बालक की अभिरक्षा रखने वाले किसी माता / पिता या अभिभावक द्वारा या किसी व्यक्ति, जो बालक की देखभाल कर रहा है, द्वारा ऐसे विवाह से जन्मे अवयस्क बालक की ओर से किए गए आवेदन पर, प्रतिवादी, जिसके विरूद्ध डिकी पारित की गई है, को ऐसे व्यक्ति को ऐसी सकल राशि या ऐसा मासिक भरण-पोषण या नियतकालिक राशि अवयस्क बालक के हित तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जो न्यायालय उचित समझे ऐसे व्यक्ति के माध्यम से, भूगतान करने के लिए आदेश देगा:

परंतु अवयस्क बालक को, बालक के वयस्कता प्राप्त करने तक या अतिरिक्त अवधि के लिए जहां ऐसा बालक किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या किसी अविवाहित पुत्री की दशा में, उसके विवाहित होने तक, इस प्रकार अधिनिर्णित भरण-पोषण का भुगतान किया जाएगा।

- (5) प्रतिवादी की मृत्यु की दशा में, जिसके विरुद्ध भरण—पोषण राशि का भुगतान करने के लिए उप—िनयम (3) या (4) के अधीन, न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया है, याचिकाकर्ता के आवेदन करने पर, न्यायालय, मृतक प्रतिवादी की अचल सम्पित पर प्रभार लगाकर भरण—पोषण राशि का ऐसा भुगतान सुरक्षित करेगा।
- (6) यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा उप—िनयम (1) से (5) के किसी उपनियम में भरण—पोषण राशि का भुगतान करने के लिए, इस प्रकार पारित आदेश की अनुपालना करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल हो जाता है, तो न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 125 के अधीन उपबन्धित रीति में भरण—पोषण राशि का भुगतान करने के लिए अपने आदेश को लागू कर सकता है।
- (7) यदि न्यायालय की सन्तुष्टि हो जाती है कि महिला के मामले में, पुनर्विवाह द्वारा, किसी बालक के मामले में, दतकग्रहण द्वारा या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, इसके किए जाने के बाद किसी समय पर पक्षकार या भरण—पोषण राशि प्राप्त करने वाले बालक की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, तो वह दोनों में से किसी एक पक्षकार के अनुरोध पर ऐसी रीति में, किसी ऐसे आदेश को परिवर्तित, रूपान्तरित या रदद कर सकता है, जो न्यायालय उचित समझे।

धर्म परिवर्तन से पूर्व घोषणा।

- 4. (1) अपना धर्म परिवर्तित करने के लिए आशयित कोई व्यक्ति, ऐसे धर्म परिवर्तन से पूर्व जिला, जिसमें वह स्थाई रूप से निवास कर रहा है, के जिला मजिस्ट्रेट को प्ररूप–क में घोषणा प्रस्तुत करेगा।
- (2) यदि धर्म परिवर्तित करने के लिए आशयित व्यक्ति अवयस्क है, तो दोनों माता/पिता या जीवित माता/पिता, जैसी भी स्थिति हो, प्ररूप—ख में घोषणा प्रस्तुत करेगा।
- (3) कोई धार्मिक पुजारी तथा / या कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन धर्म परिवर्तन का आयोजन करना चाहता है, तो जिला, जहां ऐसा परिवर्तन आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, के जिला मजिस्ट्रेट को प्ररूप–ग में पूर्व नोटिस देगा।
- (4) उप—नियम (1) या (2) या (3) के अधीन घोषणा या पूर्व नोटिस प्राप्त होने पर, जिला मजिस्ट्रेट, प्ररूप घ या ङ, जैसी भी स्थिति हो, में ऐसे पूर्व नोटिस या घोषणा की पावती देगा।
- (5) जिला मजिस्ट्रेट अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तुरन्त ऐसे नोटिस या घोषणा की प्रति लगाएगा तथा क्रमशः प्ररूप—च तथा छ में नोटिस जारी करके उपनियम (1) या (2) के अधीन आशयित परिवर्तन या उपनियम (3) के अधीन धर्मपरिवर्तन समारोह आयोजित करने के लिए आक्षेप, यदि कोई हो, आमंत्रित करेगा।
- (6) जिला मजिस्ट्रेट, उपनियम (1) या (2) या (3) के अधीन प्राप्त सभी घोषणा या नोटिस को क्रमशः प्ररूप—ज तथा झ में धर्म—परिवर्तन के रजिस्टर में दर्ज करवाएगा।
- (7) जिला मजिस्ट्रेट, उपनियम (1) या (2) या (3) में ऐसे आशयित धर्म परिवर्तन पर लिखित आक्षेपों की प्राप्ति पर, ऐसे अधिकारी या एजेंसी, जो वह उचित समझे, द्वारा सत्यापित तथा मामले की जांच कराएगा।
- (8) जहां ऐसे सत्यापन या जांच के आधार पर, कारणों को लिपिबद्ध करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट की राय है,—
 - (क) कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी धर्म परिवर्तन में बल या प्रलोभन का प्रयोग किया गया है या प्रयोग किया जाना सम्भाव्य है; या
 - (ख) कि इस अधिनियम के उपबन्धों की उल्लंघना में धर्म परिवर्तन नोटिस के बिना हुआ है.

तो वह जांच प्रक्रिया के दौरान उद्धत सभी सामग्री सहित मामले को सम्बन्धित आयुक्तालय/जिले के पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से पुलिस थाने, जिसमें व्यक्ति निवास कर रहा है या जहां धर्म परिवर्तन करना आशयित है या किया गया है, को मुकदमें के पंजीकरण तथा उसकी जांच पड़ताल के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।

(9) जिला मजिस्ट्रेट, यदि संतुष्ट हो जाता है कि धर्म परिवर्तन इच्छापूर्वक है तथा किसी मिथ्या निरूपण, बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन या किन्हीं कपटपूर्ण साधनों द्वारा या विवाह द्वारा या विवाह करने के प्रयोजन के बिना है, प्ररूप—ञ में उस आशय का प्रमाण—पत्र जारी करेगा। 5. अधिनियम की धारा 9 की उप—धारा (8) के अधीन पारित जिला मजिस्ट्रेट के किसी आदेश से अपील। व्यथित कोई व्यक्ति, प्ररूप ट में संबंधित मण्डल आयुक्त के सम्मुख आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है:

परन्तु मण्डल आयुक्त उचित कारण दर्शाने पर, तीस दिन की और अवधि के लिए अपील दायर करने में विलम्ब को माफ कर सकता है।

6. (1) जहां किसी संस्था या संगठन के मामलों का प्रभारी व्यक्ति, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन दोषी पाया जाता है, तो जिला मजिस्ट्रेट, जिसकी अधिकारिता में ऐसी संस्था या संगठन स्थित है, ऐसे संस्था या संगठन के पंजीकरण के रद्दकरण के लिए अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध करेगा।

संस्था या संगठन के पंजीकरण का रददकरण।

(2) ऐसे संस्था या संगठन के मामलों के प्रभारी व्यक्ति को दिए गए दंड के आदेश की प्रमाणित प्रति सहित जिला मजिस्ट्रेट से उप—नियम (1) के अधीन अनुरोध प्राप्त करने पर, सक्षम प्राधिकारी, ऐसे संस्था या संगठन का पंजीकरण तुरंत रदद करेगा।

प्ररूप–क

[देखिए नियम 4 (1)] एक धर्म से दूसरे में धर्म परिवर्तन से पूर्व घोषणा

सेवा में	
	जिला मजिस्ट्रेट,
	ਯਿলা————
श्री मान	न जी,
का इरा ढ़ंग सर्वि	मैं————— सुपुत्र / पत्नी / पुत्री श्री ————————————————————————————————————
(i)	नाम :
(ii)	माता / पिता का नाम :
(iii)	आयु :
(iv)	पता :
(v)	क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है ?
(vi)	लिंग :
(vii)	क्या विवाहित या अविवाहित है :
(viii)	यदि विवाहित है, तो पति/पत्नी/पतियों/पत्नियों का पूरा नाम तथा पता/पते
(ix)	व्यवसाय तथा मासिक आय :
(x)	धर्म परिवर्तित किए जाने वाले व्यक्ति ने कितने लम्बी अवधि से उस धर्म का समर्थन किया है, जिसका उसने परित्याग करने का निश्चय किया हैं ?——
(xi)	धर्म परिवर्तन के लिए कारण :
दिनांक	
स्थान :	:– धर्म परिवर्तन करने के लिए आशयित व्यक्ति के इस्ताथर

प्ररूप–ख

[देखिए नियम 4 (2)]

अवयस्क की ओर से एक धर्म से दूसरे में धर्म परिवर्तन से पूर्व घोषणा

(दोनों माता / पिता द्वारा या यदि दूसरे की मृत्यु हो चुकी है अथवा संसारिक जीवन से सन्यास ले चुका है, जीवित माता / पिता द्वारा)

सेवा मे	
	जिला मजिस्ट्रेट,
	ਯਿলা————
श्री मा	
 से तथ कपटपृ	में————————————————————————————————————
(i)	अवयस्क का नाम तथा पता :
(ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)	धर्म परिवर्तित किए जाने वाले अवयस्क के माता—पिता का नाम तथा पता : ———————————————————————————————————
दिनांक स्थान	

प्ररूप–ग

[देखिए नियम 4 (3)]

सेवा मे	पुजारी तथा / या किसी व्यक्ति, जो धर्म परिवर्तन के समारोह का आयोजन करने का इरादा करता है, द्वारा नोटिस
(IMI ·	, जिला मजिस्ट्रेट, —————
श्री मा	न जी,
निवार्स निवारप ———	मैं,————————————————————————————————————
(त्यक्ति	टिप्पणः धार्मिक पुजारी / कोई व्यक्ति, अपने हस्ताक्षर से एक धर्म से दूसरे में धर्म परिवर्तन के लिए आशयित व्यक्ति ।यों) के संबंध में सूचना, नीचे दिए गए प्रारूप में, संलग्न करने के लिए अपेक्षित है:
(i)	धर्म परिवर्तित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता :
(ii)	धर्म परिवर्तित किए जाने वाले व्यक्ति के माता पिता का नाम तथा पता :
(iii)	आयु :
(iv)	लिंग :
(v)	अवयस्क की दशा में अभिभावक का नाम तथा पूरा पता :
(vi)	क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है :
(vii)	क्या विवाहित या अविवाहित है :
(viii)	यदि विवाहित है, तो पति—पत्नी / पतियों—पत्नियों का पूरा नाम तथा उसका पता / उनके पते:——————————————————————
(ix)	धर्म परिवर्तित किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) का व्यवसाय तथा मासिक आय :
(x)	धर्म परिवर्तित किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) ने, कितने लम्बे समय से उस धर्म का समर्थन किया है, जिसका उसने परित्याग करने का निश्चय किया हैं ?————————————————————————————————————
(xi)	धर्म परिवर्तन के लिए कारण :
(xii)	व्यक्ति / व्यक्तियों का नाम / के नाम, जो धर्म परिवर्तन समारोह में भाग लेना संभावित है / हैं।
दिनांक स्थान	: धर्म परिवर्तन समारोह का अनुष्ठान करने वाले पुजारी /
(*लागृ	व्यक्ति के हस्ताक्षर ्न होने वाली शर्ते काट दी जाए)

प्ररूप–घ

[देखिए नियम 4 (4)]

[, (7)	
पावती	
श्री / श्रीमती / कुमारी————————————————————————————————————	-— आयु ———— इरियाणा विधिविक्तद्ध
दिनांक :- स्थान :-	जेला मजिस्ट्रेट ————
(कार्यालय मोहर)	

प्ररूप—ङ

[देखिए नियम 4 (4)]

	पावती		
आयु——— निवासी———— ————बजे————	हुमारीसुप् से (स्थ - धर्म से धर्म में परिवर्तन रण नियम, 2022 के नियम 4 के उप नियम	ग्रान) ————— मे समारोह का अनुष्ठान करने	मंं (तिथि तथा समय) के सम्बन्ध में हरियाणा
दिनांक :- स्थान :-			जिला मजिस्ट्रेट
	(कार्यालय मोहर)		

प्ररूप च

[देखिए नियम 4 (5)] आक्षेप आमंत्रित करने के लिए नोटिस धारा 9 (4)}

[41(1 9 (4)]	
श्री / श्रीमती / कुमारी धर्म से -	
धर्म में परिवर्तन के लिए श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री	
निवासीसे हरियाणा विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम,	
उप–धारा (1) के अधीन घोषणा प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्राप्त घोषणा की प्रति नोटिस बोर्ड पर इस ने	टिस के साथ चिपका
दी गई है।	
कोई व्यक्ति, इस नोटिस की तिथि से तीस दिन की समाप्ति से पूर्व अर्थात् ———— आशयित धर्म परिवर्तन पर लिखित आक्षेप दाखिल कर सकता है।	को या से पूर्व, इस
दिनांक :	
स्थान :	जिला मजिस्ट्रेट

प्ररूप छ

[देखिए नियम 4 (5)] आक्षेप आमंत्रित करने के लिए नोटिस धारा 9 (4) के अधीन}

	[4] (1) (4) 4) (1)	
	श्री / श्रीमती / कुमारी–(1)(2)(2)	
	धर्म त्रे लिए श्री / श्रीमती / कुमारीसुपुत्र / पत्नी	
निवासी	विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन निवा	ारण अधिनियम, 2022 की धारा 9 की
उप—धारा (2)	के अधीन नोटिस प्राप्त हुआ है। इस प्रकार प्राप्त नोटिस की प्रति चिपका दी	। गई है।
आशयित धर्म प	कोई व्यक्ति, इस नोटिस की तिथि से तीस दिन की समाप्ति से पूर्व अ परिवर्तन पर लिखित आक्षेप दाखिल कर सकता है।	र्धात् ——— को या से पूर्व, इस
दिनांक :-		
स्थान :-		जिला मजिस्ट्रेट

प्ररूप–ज

[देखिए नियम 4 (6)] घोषणा का रजिस्टर

	-11 11 471 (161(6))	
1.	धर्म परिवर्तित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता :	
2.	धर्म परिवर्तित किए जाने वाले व्यक्ति के माता–पिता का नाम तथा पता:––––	
3.	आयु :	
4.	अवयस्क की दशा में, अभिभावक / माता–पिता का नाम तथा पूरा पता :	
5.	लिंग :	
6.	क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है :	
7.	क्या विवाहित या अविवाहित है :	
8.	यदि विवाहित है, तो पति–पत्नी / पतियों–पत्नियों के पूरे नाम तथा उनका	पता / उनके
	पते :	
9.	धर्म परिवर्तित किए जाने वाले व्यक्ति का व्यवसाय तथा मासिक आय:	
10.	धर्म परिवर्तित किया जाने वाला व्यक्ति कितने लम्बे समय से उस धर्म का समर्थन कर रहा है जिसका	उसने परित्याग
	करने का निश्चय किया है ?———	
11.	धर्म परिवर्तन के लिए कारण :	
12.	=====================================	-
13.	नियम ४ के उप—िनयम (1) या (2) के अधीन घोषणा प्राप्ति की तिथि :	
दिनांक	5 :—	
स्थान	_	मजिस्ट्रेट
	 (कार्यालय मोहर)	

प्ररूप–झ

[देखिए नियम 4 (6)] नोटिस का रजिस्टर

1.	धर्म परिवर्तित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता :
2.	धर्म परिवर्तित किए जाने वाले व्यक्ति के माता–पिता का नाम तथा पता:–––
3.	आयु :
4.	अवयस्क की दशा में, अभिभावक / माता–पिता का नाम तथा पूरा पता :
5.	लिंग :
6.	क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है :
7.	क्या विवाहित या अविवाहित है :
8.	यदि विवाहित है, तो पति—पत्नी / पतियों—पिनयों के पूरे नाम तथा उनका पता / उनके पते :
9.	धर्म परिवर्तित किए जाने वाले व्यक्ति का व्यवसाय तथा मासिक आय:
10.	धर्म परिवर्तित किया जाने वाला व्यक्ति, कितने लम्बे समय से उस धर्म का समर्थन कर रहा है, जिसका उसने परित्याग करने का निश्चय किया है ?
11.	धर्म परिवर्तन के लिए कारण :
12. 13.	उस स्थान का नाम, जहां धर्म परिवर्तन समारोह होना है: धर्म परिवर्तन की तिथि :
14.	धार्मिक पुजारी का नाम तथा पता, जो धर्म परिवर्तन समारोह का अनुष्ठान करेगा
45	
15.	व्यक्ति / व्यक्तियों के नाम तथा पता / पते, जिन्होंने धर्म परिवर्तन समारोह में भाग लेना है :
16.	नियम ४ के उप—िनयम (1) या (2) या (3) के अधीन नोटिस प्राप्ति की तिथि:—————
दिनांक	
स्थान :	: जिला मजिस्ट्रेट
	 (कार्यालय मोहर)

प्ररूप–ञ

{देखिए नियम 4 (9)}

[414]	
दूसरे धर्म में परिवर्तन का प्रमाणपत्र	
यह कि ———————————————————————————————————	नियम 4
क उप—ानयम (1) या (2) के अधान————— धम से ——————धम में परिवर्तन के लिए धाषणा की द्वारा, ———————के माध्यम से करवाए गए सम्यक् सत्यापन के बाद, मैं सन्तुष्ट हूँ कि श्री	
के द्वारा की गई घोषणा इच्छापूर्वक तथा किसी मिथ्या निरूपण, बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव,	
प्रलोभन या किन्हीं कपटपूर्ण साधनों द्वारा या विवाह द्वारा या विवाह करने के प्रयोजन, के बिना है।	
दिनांक :	
स्थान :- जिला मजिर	स्ट्रेट
 (कार्यालय मोहर)	

प्ररूप–ट

(देखिए नियम 5) अपील का प्रोफार्मा

सेवा में

मण्डल आयुक्त (मण्डल का नाम)

- 1. अपीलार्थी का नाम :
- 2. अपीलार्थी का पता :
- 3. आधार कार्ड संख्या (प्रति संलग्न) :
- 4. आदेश के ब्यौरे जिसके विरूद्ध अपील की गई है (आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न है) :
- 5. तिथि, जिसको आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरूद्ध अपील दायर की गई है, प्राप्त की गई है :
- 6. शपथ पत्र से समर्थित अपील के लिए आधार :
- 7. क्या अपील सीमा में या अन्यथा है :
- 8. अपील दायर करने में विलम्ब, यदि कोई हो, के लिए कारण :

दिनांक :--

स्थान :-

अपीलार्थी

टी० वी० एस० एन० प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 15th December, 2022

No. S.O. 84/H.A. 16/2022/S.19/2022.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 19 of the Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religion Act, 2022 (16 of 2022), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religion Rules, 2022.

Short title and commencement.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

Definitions.

- (a)"Act" means the Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religion Act, 2022 (16 of 2022);
- (b) "Form" means form appended to these rules.
- (2) All other words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.
- **3.** (1) On filing an application under section 6 of the Act by any aggrieved party before the competent Court, the Court may on application under section 8 of the Act, order the respondent to pay the maintenance and expenses of the proceeding and during the proceeding such monthly maintenance amount to the petitioner, considering the petitioner's own income and the income of the respondent, as the court considers to be reasonable:

Right to maintenance.

Provided that the application under section 8 of the Act as mentioned above shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date of service of notice on the respondent.

- (2) The Court shall order the respondent to pay to minor child born in the marriage, the maintenance and expenses of the proceeding through such person as the court may deems fit during the proceeding, in the best interest of the child.
- (3) At the time of declaring the marriage as null and void under section 6 of the Act, or at any time subsequent thereto, the Court may on application made to it by the petitioner either the wife or the husband, as the case may be, order the respondent to pay such gross sum or such monthly maintenance or periodical amount for a term not exceeding the life of the petitioner considering the respondent's own income and other property, if any, the income and other property of the applicant, the conduct of the parties and other circumstances of the case, as the court considers to be just and reasonable:

Provided that the application for the payment of the expenses of the proceeding and such monthly maintenance amount during the proceeding shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date of service of notice on the respondent.

(4) On the declaration of marriage as null and void under section 6 of the Act, the Court on application made to it on behalf of the minor child born in such marriage by any parent or guardian having custody of the minor child or by the person who is looking after the child shall order the respondent against whom decree has been passed, to pay the child such gross amount or such monthly maintenance or periodical amount through such person as the Court deems fit having regard to the interest of the minor child and other circumstances of the case:

Provided that maintenance so awarded, shall be paid to minor child until the child attains majority or for further period, where such child is, by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain himself or in case of an unmarried daughter till she gets married.

(5) In case of death of respondent against whom order has been issued by the Court under sub-rule (3) or (4) to pay maintenance amount, the Court on the application of the petitioner shall secure such payment of maintenance amount by making a charge on the immoveable property of the deceased respondent.

- (6) If any person so ordered to pay maintenance amount in any of sub-rule (1) to (5) by the Court fails without sufficient cause to comply with the order, the Court may enforce its order to pay maintenance amount in the manner provided under section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974).
- (7) If the court is satisfied that there is a change in the circumstances of party or a child receiving maintenance amount by re-marriage in case of woman, adoption in case of a child or for any other sufficient cause, at any time after it has made, it may at the instance of either party, vary, modify or rescind any such order in such manner, as the court may consider to be reasonable.

Declaration before conversion of religion.

- **4.** (1) Any person intending to convert his religion, shall, prior to such conversion, give a declaration in Form **A** to the District Magistrate of the District in which he is permanently residing.
- (2) In case, the person intended to be converted is a minor, both of the parents or surviving parent, as the case may be, shall give a declaration in Form B.
- (3) Any religious priest and/or any person who intends to organize conversion under the Act shall give prior notice in Form C to the District Magistrate of the district where such conversion is proposed to be organized.
- (4) The District Magistrate on receiving information under sub-rule (1) or (2) or (3) shall give acknowledgement of such prior notice or declaration in Form D or E, as the case may be.
- (5) The District Magistrate shall affix a copy of such notice or declaration forthwith on the notice board of his office and invite objections, if any, to the intended conversion under subrule (1) or (2) or to the performing of conversion ceremony under sub-rule (3) by issuing notice in Form F and G respectively.
- (6) The District Magistrate shall cause all declarations or notices received under sub-rule (1) or (2) or (3) to be entered in a Register of conversion in Form H and I respectively.
- (7) The District Magistrate shall on the receipt of written objections to such intended conversion in sub-rule (1) or (2) or (3), verify and get the matter inquired into by such officer or agency, as he may deem fit.
- (8) Where on the basis of such verification or inquiry, the District Magistrate is of the opinion, for reasons to be recorded,-
 - (a) that force or inducement has been used or is likely to be used in any conversion within the local limits of his jurisdiction; or
 - (b) that a conversion has taken place without notice in contravention of the provisions of this Act,
 he may refer the case along with all material adduced during the course of the enquiry to the Police Station through office of Commissioner of Police/Superintendent of Police of the concerned Commissionerate/ District in which the person is residing or where the conversion is intended or done for registration of a case and its investigation.
- (9) The District Magistrate if satisfied that the conversion is willful and without any misrepresentation, use of force, threat, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage or for marriage, issue a certificate to that effect in Form J.
- 5. Any person aggrieved by any order of a District Magistrate passed under sub-section (8) of section 9 of the Act may file an appeal within thirty days from the date of receipt of certified copy of the order before the concerned Divisional Commissioner in Form K:

Provided that the Divisional Commissioner may, on showing reasonable cause, condone the delay in filing appeal for further period of thirty days.

Cancellation of registration of institution or organization.

Appeal

- **6.** (1) Where the person in charge of affairs of any institution or organization is found guilty under sub section (1) of section 13 of the Act, the District Magistrate, within whose jurisdiction such institution or organization is situated, shall make request to the competent authority under sub section (2) of section 13 of the Act for cancellation of registration of such institution or organization.
- (2) The competent authority on receiving the request under sub-rule (1) from the District Magistrate along with certified copy of order of punishment awarded to person in-charge of affairs of such institution or organization, shall forthwith cancel the registration of such institution or organization.

FORM A

[see rule 4(1)]

DECLARATION BEFORE CONVERSION FROM ONE RELIGION TO ANOTHER

To	
	The District Magistrate,
Sir,	
to	I,
(i)	Name
(ii)	Parents Name
(iii)	Age
(iv)	Address
(v)	Whether belongs to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes?
(vi)	Sex
(vii)	Whether married or unmarried
(viii)	If married, full name(s) of the spouse(s) alongwith address(es)
(ix)	Occupation and monthly income
(x)	For how long the person to be converted has been professing the religion which he/she has decided to renounce?
(xi)	Reasons for conversion
	·
Date:	Signature of person
Place:	: - intending to convert religion

FORM B

[see rule 4(2)]

DECLARATION BEFORE CONVERSION FROM ONE RELIGION TO ANOTHER ON BEHALF OF MINOR

(BY BOTH THE PARENTS OR BY SURVIVING PARENT IN CASE OTHER HAS ALREADY EXPIRED OR HAS RENOUNCED THE WORLD)

To		
	The District Magistrate,	
Sir,		
intend He/sh influe	I/We	er namely
(i)	Name and address of the minor	
(ii)	Name and address of the parents of the minor to be converted	<u>_</u> .
(iii)	Date of birth of minor	
(iv)	Sex	
(v)	Whether belongs to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes?	_•
(vi)	Whether married or unmarried	
(vii)	If married, full name(s) of the address/address(es)	spouse(s) and her/their
(viii)	Monthly income of the minor	<u>_</u> .
(ix)	For how long the minor has been professing the religion renounce?	
(x)	Reasons for conversion	·
Date: Place:	:-	Signature of the parent(s) intending to convert religion (1)
		(2)

FORM C

[See rule 4(3)]

NOTICE BY PRIEST AND/OR ANY PERSON WHO INTENDS TO ORGANIZE CONVERSION

To	
	The District Magistrate,
Sir,	
	I,
Harya conve	as religious priest/any person, do hereby give prior notice under sub-rule (3) of rule 4 of the ma Prevention of Unlawful Conversion of Religion Rules, 2022 that I intend to organize ceremony for rision on
Note: given	The religious priest/any person is required to enclose the information under his/her signature in the format below with regard to the person(s) intending to convert from one religion to another:-
(i)	Name and address of the person to be converted
(ii)	Name and address of the parents of the person to be converted
(iii)	Age
(iv)	Sex
(v)	In case of minor, name and full address of the parent(s)
(vi)	Whether belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe *
(vii)	Whether married or unmarried*
(viii)	If married, full name(s) of the spouse(s) along with address(es)
(ix)	Occupation and monthly income of the person to be converted
(x)	For how long the person to be converted has been professing the religion which he/she has decided to renounce?
(xi)	Reasons for conversion
(xii)	Name(s) and address(s) of the person(s) who is/are likely to attend the conversion ceremony
D. t	
Date:	Signature of the Priest/Person

*Terms not applicable may be struck out)

FORM D

[see rule 4 (4)]

ACKNOWLEDGEMENT

Received a declaration under sub of Religion Rules, 2022 from Sh./Smt	` ' ' '			
Shriconversion of Sh./Smt	aged	resident of	of	for
		·····		
Date				The District Magistrate
Place				

FORM E

[See rule 4(4)]

ACKNOWLEDGEMENT

Dules		under sub-rule (3) of rule 4 Shri/Smt./Miss	•					_
		religion to						
at	 	(Place)						
_					_			
Date					Т	he District	Magist	rate
Place								

FORM F

[see rule 4(5)]

NOTICE INVITING OBJECTIONS

[under section 9(4)]

Religion	Act,	2022	has	been	received	from	Sh./Sm	t	 of Unlawful C	S/o/W/o/D/o
									for o	
								oard alongwi		······································
Any person may, before the expiry of thirty days, from the date of this notice i.e. on/before can file written objection(s) to this intended conversion.								,		
Date									The District M District	0

FORM G

[see rule 4(5)]

NOTICE INVITING OBJECTIONS

[under section 9(4)]

	A Notice	under sub-	-section (2)	of section 9 o	f the Haryar	na Preventio	on of Unlawful Conversion of Religion	1		
Act,	2022	has	been	received	from	Sh./Smt	S/o/W/o/D/o)		
			r	esident of			for organizing conversion	1		
of	Sh./Smt	(1)		(2)		(3)	from			
religion	n to		religion. T	he copy of the	notice so rec	eived has b	een affixed herewith.			
can file	Any person may, before the expiry of thirty days, from the date of this notice i.e. on/before, can file written objection(s) to this intended conversion.									
Date							The District Magistrate District			

FORM H

[see rule 4 (6)]

REGISTER OF DECLARATION

1.	Name and address of the person to be converted	
2.	Name and address of the parents of the person to be converted	
3.	Age	
4.	In case of minor, name and full address of the guardian/parent(s)	
5.	Sex	
6.	Whether belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe	
7.	Whether married or unmarried	
8.	If married, full name(s) of the spouse(s) alongwith address(es)	
9.	Occupation and monthly income of the person to be converted	
10.	For how long the person to be converted has been professing to the religion renounce?	which he/she has decided to
11.	Reasons for conversion_	
12.	Date of conversion	
13.	Date of receipt of declaration under rule 4(1) or (2)	
Date		The District Magistrate
Place	·············	

FORM I

[see rule **4** (6)]

REGISTER OF NOTICE

1.	Name and address of the person to be converted	
2.	Name and address of the parents of the person to be converted	
3.	Age	
4.	In case of minor, name and full address of the guardian/parent(s)	
5.	Sex	
6.	Whether belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe	
7.	Whether married or unmarried	
8.	If married, full name(s) of the spouse(s) alongwith address(es)	
9.	Occupation and monthly income of the person to be converted	
10.	For how long the person to be converted has been professing to the religion renounce?	which he/she has decided to
11.	Reasons for conversion	
12.	Name of the place where the conversion ceremony is to take place	·
13.	Date of conversion	
14.	Name and address of the religious priest who shall perform	the conversion ceremony
15.	Name and address(es) of the person/persons who is/ are to take part	in the conversion ceremony
16.	Date of receipt of notice under rule 4(1) or (2) or (3)	
Date		The District Magistrate
Place	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

FORM J

[see rule 4 (9)]

CERTIFICATE OF CONVERSION TO ANOTHER RELIGION

That ,	religion to	that the declaration made by se of force, threat, undue influence,
Date Place		The District Magistrate

FORM K

(see rule 5)

PROFORMA OF APPEAL

To						
	The Divisional Commissioner.					
	(Name of Division).					
1.	Name of the Appellant					
2.	Address of the Appellant					
3.	Aadhar Card No. (Copy attached)	_•				
4.	Details of the order against which appeal has been preferred. enclosed)	(Copy	of	certified	order	is
5.	Date on which certified copy of order against which appeal filed received.					
6.	Grounds for appeal supported by Affidavit					
7.	Whether appeal is within limitation or otherwise					
8.	Reasons for the delay, if any, in filing appeal					
Date				Appellan	t	
Place.						

T. V. S. N. PRASAD, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Home Department.

10043—L.R.—H.G.P., Pkl.